रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2019/अग्रहायण 25, 1941

No. 722] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2019/AGRAHAYANA 25, 1941

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 दिसम्बर, 2019

सा.का.नि. 929(अ).—केन्द्रीय सरकार, पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से हरियाणा राज्य में यथा प्रवृत्त दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 (2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19) निम्नलिखित उपांतरणों के अधीन रहते हुए, चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र को विस्तारित करती है, अर्थात् :-

उपांतरण

दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 में,-

1. धारा 1 में, "2014" अंकों के पश्चात "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़ को यथा विस्तारित" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;
2. धारा 2 में, "हरियाणा राज्य" शब्दों के स्थान पर "संघ राज्यक्षेत्र चंडीगढ़" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. यू-11020/2/2018-यूटीएल]

गोविंद मोहन, अपर सचिव

उपाबंध

हरियाणा सरकार

विधायी विभाग

अधिसूचना

9 अक्टूबर, 2015

सं. वि/26/2015.—हरियाणा राज्य विधानमण्डल के निम्नलिखित अधिनियम को तारीख 3 सितम्बर, 2015 को राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त हुई और सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है।

2015 का हरियाणा अधिनियम संख्या 19

दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014

हरियाणा राज्य में इसको लागू करने के दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973,

का और संशोधित करने के लिए अधिनियम ।

भारत गणराज्य के पैंसठवें वर्ष में हरियाणा राज्य विधानमण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप से यह अधिनियमित हो :-

1.	इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दण्ड प्रक्रिया संहिता (हरियाणा संशोधन) अधिनियम, 2014 है।						संक्षिप्त नाम
2.	दण्ड प्रक्रिया संहिता,1973 में, हरियाणा राज्य में इसको लागू होने में, पहली अनुसूची में, धारा 379 के पश्चात् पहली अनुसूची में निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-						*1974 के केंद्रीय अधिनियम 2 में पहली अनुसूची का संशोधन*
	1	2	3	4	5	6	
	"379-क	छीनना	ऐसी अवधि जो पाँच वर्ष से कम नहीं होगी जिसे दस वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है के लिए कठोर कारावास से दंडनीय होगा और 25000/- रुपये के जुर्माने के लिए दायी होगा।	संज्ञेय	गैर जमानतीय	सत्र न्यायालय	
	379-ख	उपहति या सदोष अवरोध या उपहति के डर सहित छीनना	ऐसे कठोर कारावास जो दस वर्ष से कम नहीं होगा और जिसे चौदह वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है, से दंडनीय होगा और 25000/- रुपये के जुर्माने के लिए दायी होगा"।	यथोक्त	यथोक्त	यथोक्त"।	

कुलदीप जैन,

सचिव, हरियाणा सरकार,

विधि और विधायी विभाग ।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th December, 2019

G.S.R. 929(E).—In exercise of the powers conferred by section 87 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the Central Government hereby extends to the Union territory of Chandigarh, the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Act, 2014 (Haryana Act No. 19 of 2015), as in force in the State of Haryana on the date of publication of this notification in the official Gazette, subject to the following modifications, namely:—

(119)

MODIFICATIONS

In the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Act, 2014,-

1. in section 1, after figures "2014", the words "as extended to the Union territory of Chandigarh" shall be inserted;
2. in section 2, for the words "State of Haryana", the words "Union territory of Chandigarh" shall be substituted.

[F. No. U-11020/2/2018-UTL]

GOVIND MOHAN, Addl. Secy.

ANNEXURE

HARYANA GOVERNMENT

LEGISLATIVE DEPARTMENT

NOTIFICATION

The 9th October, 2015

No. Leg. 26/2015.–The following Act of the Legislature of the State of Haryana received the assent of the President of India on the dated 3rd September, 2015, and hereby publish for general information:-

HARYANA ACT NO. 19 OF 2015

The Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Act, 2014

AN

ACT

further to amend the Code of Criminal Procedure, 1973, in its application to the State of Haryana.

Be it enacted by the Legislature of the State of Haryana in the Sixty-fifth Year of the Republic of India as follows:-

1.	This Act may be called the Code of Criminal Procedure (Haryana Amendment) Act, 2014.						*Short title*
2.	In the Code of Criminal Procedure, 1973 in its application to the State of Haryana, in the First Schedule, in the table, after section 379, the following entries shall be inserted, namely:-						*Amendment of First Schedule to Central Act 2 of 1974*
	1	2	3	4	5	6	
	"379-A	Snatching	Rigorous imprisonment for a term which shall not be less than five years but which may extend to ten years, and fine of Rs. 25,000/-	Cognizable	Non-bailable	Court of Session	

	379-B	Snatching with hurt or wrongful restraint or fear of hurt.	Rigorous imprisonment for a term which shall not be less than ten years and which may extend to fourteen years, and fine of Rs. 25,000/-	Ditto	Ditto	Ditto".	

KULDIP JAIN,
Secretary to Government Haryana,
Law and Legislative Department.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2019.12.16 22:28:34 +05'30'